समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 03-0540 /रा0,

प्रेषक,

रमण कुमार,
भा0प्र0से0,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, बक्सर

असैनिक शल्यक चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव

नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर

सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला

अग्निशामन पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव

सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला

बक्सर, दिनांक 10 / 3 /2017

विषय : अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन की प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1/प्रा0आ0(2)–24/2016–455/आ0प्र0 दिनांक 23.02.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का निदेश किया जाय, प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेश प्राप्त है कि इस वर्ष ग्रीस्माकाल प्रारम्भ हो गया है। ग्रीस्म काल में जिले के विभिन्न प्रखण्डों एवं अंचलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। आप अवगत है कि राज्य सरकार की नीति के तहत अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित प्रखण्डों एवं अंचलों के आपदा प्रबंधन के उतरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (Fastest Means of Transport) से घटना स्थल पर पहुँच कर त्वरित गति से पीड़ितों को सहायय प्रदान करने एवं भीषण अग्निकाण्ड होने पर सहायय की व्यवस्था किया जाना है। इस सन्दर्भ में अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं अंचलों को समय – समय पर व्यापक सरकारी अनुदेशो / निदेश पूर्व में दिये गये है। आपदा प्रंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुदेशों / निदेश के आलोक में अनुमण्डल प्रखण्ड एवं अंचल स्तर पर भीषण अग्निकाण्ड होने पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक हे।

अतः आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त अनुदेशों / निदेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होते ही अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं अंचल स्तर पर आपदा प्रबंधन के उतरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज संसाधनों से (Fastest Means of Transport) स्थल पर पहुँच कर त्वरित गति से पीड़ितों को सहायय प्रदान करना एवं भीषण अग्निकाण्ड होने पर स्वयं घटना स्थल पर पहुँच कर सहायय अनुदान की व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः–यथोपरि।

ह0 ——

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 03-0540 /रा0, दिनांक 10/03/2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। आपदा प्रबंधन विभागीय पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त अनुदेशों / निदेश को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि आपदा प्रबंधन विभागीय पत्र में अंकित अनुदेशो / निदेश को बक्सर के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

10.3.17

जिला पदाधिकारी,
बक्सर